बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–15/आरोप (मुख्यालय) 02–22/2021–.....(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा **श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित** के विरूद्ध स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के विभिन्न बीमारियों की ईलाज का हवाला देते हुए सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बिना अवकाश में जाने, आदतन मुख्यालय छोड़ने, आवेदन प्रायः Whatsapp के माध्यम से भेजे जाने, कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने जैसे प्रतिवेदित आरोपों के लिये विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर साक्ष्य सहित विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आरोप पत्र में गठित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–1471(15) दिनांक–28.07.2023 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक–19.12.2023 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा अपने पिताजी, चाचा जी एवं चाची जी के कोरोना से पॉजिटिव होने के फलस्वरूप स्वयं के कोरोना से ग्रसित होने की संभावना के मद्देनजर दिनांक–04.08.2020 से 07.08.2020 तक, साईनसाईटिस के ईलाज के प्रयोजनार्थ हैदराबाद जाने के लिये दिनांक–19.10.2020 से 27.10.2020 तक, यूरिन संक्रमण और कमर दर्द के कारण दिनांक–28.10.2020 से 16.11.2020 तक, वायरल बुखार से ग्रसित होने के कारण दिनांक–23.10.2021 से 26.10.2021 तक, माता जी के बीमारी के कारण दिनांक–01.03.2021 से 30.03.2021 एवं पुत्री के देखभाल के लिये दिनांक–31.03.2021 से 06 माह के लिये शिशु देखभाल अवकाश आवेदन का उल्लेख करते हुए कार्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया है।

3. आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में निदेशालय द्वारा दिनांक–25.05.2024 को मंतव्य उपलब्ध कराया गया कि "आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से स्वतः स्पष्ट है कि उनके द्वारा बार–बार किसी न किसी परिवारिक सदस्यों के बीमारी का हवाला देकर अवकाश अथवा कार्यालय से अनुपस्थित रहने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक शिशु देखभाल अवकाश का प्रश्न है तो इस संदर्भ में वित्त विभागीय अधिसूचना सं0–640/वि0 दिनांक–19.01.2015 की कंडिका–3 में उल्लेखित है कि **"किसी भी परिस्थिति में, मंजूर करने वाले प्राधिकार की पूर्वानुमति एवं उचित मंजूरी के बिना कोई कर्मचारी इस छुट्टी पर प्रस्थान नहीं कर सकेगा।"** इससे स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा निर्धारित नियम का पालन नहीं करते हुए अपनी सुविधापूर्वक अवकाश का उपभोग किया गया है।"

मंतव्य में यह भी अंकित किया गया है कि "विभागीय अधिसूचना सं0–202(3) दिनांक–29.06.2021 द्वारा उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन बंदोबस्त कार्यालय, वैशाली में किये जाने एवं निदेशालय का आदेश ज्ञापांक–2124 दिनांक–27.07.2021 द्वारा विरमित किये जाने के बावजूद उनके द्वारा कार्यालय में योगदान न देकर सम्प्रति अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। आरोपी पदाधिकारी को कतिपय जिलों के लिये सर्वेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित किया गया था। इस प्रकार उनके गैर अनुपस्थिति से सर्वेक्षण कार्यक्रम बाधित हुआ है।" निदेशक, भू–अभिलेख एवं

परिमाप निदेशालय द्वारा आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताते हुए आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/ अनुशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

4. प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं होने एवं दिनांक–27.07.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प सं0–1176(15) दिनांक–12.07.2024 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को निलंबित करते हुए मामले की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0–1195(15) दिनांक–16.07.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए श्री अरूण कुमार सिंह, तत्कालीन अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ज्ञापांक–214, दिनांक–30.01.2026 द्वारा समर्पित जाँच/संचालन प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प–1195 दिनांक–16.07.2024 के द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में आरोपी पदाधिकारी से उनका पक्ष सुनने हेतु कार्यालय ज्ञापांक–83 दिनांक–16.08.2024, ज्ञापांक–91, दिनांक–12.09.2024, ज्ञापांक–95 दिनांक–27.09.2024, ज्ञापांक–116 दिनांक–21.11.2024. ज्ञापांक–132 दिनांक–24.12.2024, ज्ञापांक–181 दिनांक–08.09.2025, ज्ञापांक–189 दिनांक–13.10.2025 एवं ज्ञापांक–195 दिनांक–01.12.2025 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, किन्तु आरोपी पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुई।

विभागीय कार्यवाही के दौरान नोटिस निर्गत करने के बावजूद सुनवाई की तिथियों पर श्रीमती आनन्द की उपस्थित नहीं होने के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–189 दिनांक–13.10.2025 के आलोक में प्रेस विज्ञप्ति संख्या–PR–017289 (Revenue) 2025–26 के द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में आरोपी पदाधिकारी को सुनवाई में अपना पक्ष रखने हेतु सूचना प्रकाशित करवायी गई। सुनवाई की तिथियों में उपस्थित होने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के वाबजूद भी श्रीमती आनन्द (आरोपी पदा०) सुनवाई में उपस्थित नही हुई।

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित अभिकथन से सहमत होते हुए आरोपी पदाधिकारी श्रीमती आनन्द के विरूद्ध गठित आरोपों का संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित अंकित किया गया है।

6. आरोप, आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण एवं आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप से प्राप्त मंतव्य तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए व्हाट्सप्प /ईमेल के माध्यम से मात्र आवेदन भेजकर बगैर सक्षम प्राधिकार की अनुमति के अवकाश में मुख्यालय से बाहर प्रस्थान किया गया है। किसी भी सरकारी सेवक को अवकाश में प्रस्थान करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार से पूर्व अनुमति लेकर अवकाश में प्रस्थान करना होता है न कि व्हाट्सप्प/ईमेल के माध्यम से मात्र आवेदन देकर अवकाश में मुख्यालय से प्रस्थान करना होता है। साथ ही आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्थानान्तरण होने एवं योगदान हेतु दिनांक–27.07.2021 से विरमित किए जाने के बावजूद नवपदस्थापित कार्यालय में अब तक योगदान नहीं किया जाना सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। विभागीय संकल्प सं0–1176, दिनांक–12.7.2024 द्वारा सुश्री अंजली कुमारी आनन्द, तत्कालीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को निलंबित करते हुए मुख्यालय भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय निर्धारित किया गया, परंतु

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक–84, दिनांक–06.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती आनन्द द्वारा अब तक (वर्त्तमान समय में भी) योगदान समर्पित नहीं किया गया है। आरोपी पदाधिकारी दिनांक–27.07.2021 से अबतक लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में भी बार–बार नोटिस निर्गत किए जाने एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किए जाने के बावजूद भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा न तो उपस्थित होकर और न ही डाक के माध्यम से अपना पक्ष रखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि आरोपी पदाधिकारी के पास उनके बचाव के पक्ष में कोई साक्ष्य/तथ्य नहीं है, साथ ही वे सेवा में बने रहने के इच्छुक नहीं है।

7. सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती आनन्द के विरूद्ध सरकारी **सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी,** का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

8. श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड **"सरकारी सेवा से बर्खास्तगी,** जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" संबंधी संलेख विभागीय ज्ञापांक–851(15), दिनांक–17.06.2026 द्वारा मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु भेजा गया। मंत्रिपरिषद् की दिनांक–24.06.2026 को सम्पन्न बैठक में मद सं0–26 के रूप में इसे सम्मिलित करते हुए उक्त संलेख में निहित दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

9. उक्त स्वीकृति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (xi) के प्रावधानों के तहत श्रीमती अंजली कुमारी आनंद, तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय सम्प्रति निलंबित को **"सरकारी सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी",** का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

श्रीमती अंजली कुमारी आनंद से संबंधित ब्यौरा निम्नवत् है:–

1. नाम	:–	श्रीमती अंजली कुमारी आनन्द
2. पिता का नाम	:–	श्री छोटे लाल प्रसाद गुप्ता
3. पदनाम	:–	तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना सम्प्रति निलंबित।
4. जन्म तिथि	:–	04.12.1987
5. सेवानिवृति की तिथि	:–	31.12.2047
6. स्थाई पता	:–	श्याम चित्र मंदिर रोड, पुरानी चौक, वार्ड नं0–19, गोपालगंज, पिन कोड–841428

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

निबंधित
ई–मेल

ज्ञापांक–15/आरोप (मुख्यालय) 02–22/2021– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, शास्त्रीनगर, पटना/समाहर्त्ता, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना/श्रीमती अंजली कुमारी आनंद (**गृह पता–श्याम चित्र मंदिर रोड, पुरानी चौक, वार्ड नं0–19, गोपालगंज, पिन कोड–841428**) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(इनायत खान)
विशेष सचिव।

ज्ञापांक–15/आरोप (मुख्यालय) 02–22/2021– 986 (15)/रा0, पटना–15, दिनांक– 08/07/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/कनीय, प्रभारी पदाधिकीरी, प्रशाखा–03/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(इनायत खान) 7/7/26
विशेष सचिव।